निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 23/2021
दायरा दिनांकः—17.03.2021
निर्णय दिनांकः— 30.6.25

उनवान

1. मुरारीलाल पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयाबन तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

बनाम

1. रामू पुत्र मांगीलाल
2. प्रभू पुत्र मांगीलाल
3. रामनाथ पुत्र मांगीलाल
4. रामबाबू पुत्र मांगीलाल जातियान सहरिया निवासीगण ग्राम कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज०)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,92ए आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 30.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नवनीत कुमार जैन — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,92ए आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम कडैयावन तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 717 रकबा 8 बीघा स्थित है यह भूमि मांगीलाल पुत्र नैनगा जाति सहरिया निवासी कडैयावन के खातेदारी में दर्ज थी। इस भूमि को वादी मुरारीलाल ने दिनांक 04.06.1973 को प्रतिफल राशी 1500 रूपये अक्षरे पन्द्रह सो रूपये में खरीद कर विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयन कार्यालय में करा दिया। विता मागीलाल के मन में बेईमानी व बदियान्ति आ जाने से उसने वादी मुरारीलाल व उसके परिवार के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण दर्ज करया। यह प्रकरण स्पेशल कोर्ट बारां में चला। इस प्रकरण को माननीय न्यायालय बारां ने बाद गवाह सबूत झुठा और वादी मुरारी एवं अन्य परिवार के लोगो को दिनांक 15.01.1996 को दोष मुक्त कर दिया। मांगीलाल ने पुनः जमीन पर कब्जा प्राप्त करने हेतु छबडा तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया। वह भी निरस्त कर दिया गया। मांगीलाल की खातेदारी अवैध रूप से दर्ज हो रही है। कुछ दिन पूर्व मांगीलाल का देहान्त हो गया है। मांगीलाल के वारिस ने फोती इन्तकाल खुलवाने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को केम्प कडैयावन में एक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो श्रीमान जिला कलक्टर साहब द्वारा उस प्रार्थना पत्र को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी छबडा को भेज दिया गया। जानकारी प्राप्त होने पर वादी मुरारीलाल ने भी समस्त हालात से अवगत करातें हुए एक प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी छबडा को पेश किया गया। जो विचाराधीन है। मृतक मांगीलाल ने उपरोक्त विवादित कृषि आराजी को वादी मुरारीलाल के पक्ष में विक्रय कर उसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 04.06.1973 को कराया है अतः अब उसके वारिसान को कोई हक व अधिकार नही है। लैण्ड होल्डर राज्य सरकार को धारा 175 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत विक्रेता एवं क्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहियें थी। किन्तु कोई कार्यवाही नही की गई और अब कोई कार्यवाही नही की जा सकती । क्योकि समय सीमा 30 वर्ष तक कोई कार्यवाही नही की गई है। वादी कृषक है और काश्तकारी करता है वादी इस भूमि पर गत 47 वर्षो से निरन्तर काश्त कर रहा है। वादी का इस भूमि पर कब्जा मुखाललफाना हो गया है और खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गयें है। वादी ने दिनाक 26.02.2021 को अपने वकील के द्वारा धारा 80 सी0पी0सी को नोटिस श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां व तहसीलदार तहसील छबडा को प्रेषित कर निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजी खसरा नम्बर 717 रकबा 8 बीघा वादी की खोतदारी में दर्ज की जावें किन्तु कोई कार्यवाही नही की गई। इसलिए वादी के पास वाद पत्र दायर करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा शेष नही है। इस वाद अन्तिम कारण दिनांक 26.02.2021 को पैदा हुआ जब धारा 80 सी0पी0सी0 को नोटिस दिये जाने के बावजूद भी वादी के पक्ष में कोई कार्यवाही नही की। इसलिए यह तारीख ही इस वाद का अन्तिम कारण है। वाद अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए अवधि नोटिस पूरी होने के पूर्ण ही यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है यदि अविध नोटिस 2 माह का इन्तजार किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी और इन्तकाल मृतक मांगीलाल के वारिसान के नाम खोलकर तस्दीक कर दिया जावेगा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 15.02.2022 को की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 259 नकल विक्रय पत्र दिनांक 04.06.1973 नकल न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अ.जा.ज.जाति (अ.नि.प.) बारां सरकार बनाम जानकीलाल वगै0 निर्णय दिनांक 15.01.1996 नकल न्यायालय तहसीलदार छबडा प्रकरण संख्या 3/2012 बउनवान मांगीलाल बनाम राधेश्याम वगै0 निर्णय दिनांक 17.08.2015 पेश किया गया। साक्ष्यवादी में मुरारीलाल, रामदयाल, माधोलाल के शपथ पत्र पेश हुए।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयावन तहसील छबडा में स्थित है। जो मांगीलाल पुत्र नेनगा जाति सहरिया के खातेदारी में दर्ज थी विवादित भूमि को वादी मुरारीलाल ने दिनांक 04.06.1973 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी। प्रतिवादी मांगीलाल के मन में बेईमानी आने से मांगीलाल द्वारा वादी मुरारीलाल व उसके परिवार के विरूद्ध एक फौजदारी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मुकदमा दर्ज करवाया जो स्पेशल कोर्ट बारां में चला प्रकरण को माननीय न्यायालय बांरा द्वारा वादी मुरारीलाल व उसके परिवार वालों को दिनांक 15.01.1996 को निर्णय पारित कर दोष मुक्त कर दिया। मांगीलाल द्वारा पुनः जमीन पर कब्जा प्राप्त करने के लिए न्यायालय तहसीलदार छबडा में प्रकरण दर्ज करवाया वह भी तहसीलदार छबडा द्वारा निरस्त कर दिया। मांगीलाल का स्वर्गवास हो चुका है मृतक मांगीलाल ने विवादित आराजी को वादी मुरारीलाल के पक्ष में विक्रय कर दिया गया है उसके वारिसान को कोई हक अधिकार नही है वादी का क्रम करने के वाद से लगातार वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी का इस भूमि पर कब्जा मुखालफाना हो गया है और खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। है वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खातेदारी कृषक घोषित किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयावन तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 259 के अनुसार मांगीलाल पुत्र नेनगा कोम सहरिया सा0देह दर्ज है नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.06.1973 के अनुसार मांग्या पुत्र नेनगा जाति शहर निवासी कडैयावन तहसील छबडा द्वारा मुरारीलाल पुत्र जानकीलाल जाति धाकड निवासी कडैयावन को बेचान किया जाना पाया जाता है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मृतक मांगीलाल के नाम दर्ज है मांगीलाल द्वारा वादी मुरारीलाल को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.06.1972 को बेचान कर दिया। वादी मुरारीलाल ओ.बी.सी. जाति का व्यक्ति है और प्रतिवादीगण अनुसुचित जन जाति सहरिया जाति के व्यक्ति है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा ओ.बी.सी. जाति धाकड को किया गया बेचान धारा 42 के उल्लघंन की श्रेणी में आता है। अर्थात प्रतिवादी द्वारा किया गया बेचान विधि शून्य है एवं प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार भी समाप्त हो गए है तथा तहसीलदार छबडा द्वारा आरटीए की धारा 175 के तहत कार्यवाही कर सिवायचक दर्ज करने की कार्यवाही की जानी है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा चाहा गया आनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अतः वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)